

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं० 28/2018-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2018

सा.का.नि. (अ)- केंद्र सरकार का यह समाधान हो जाने पर कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष 0713 20 00 के अधीन आने वाले मालों पर उद्ग्रहणीय आयात शुल्क को बढ़ाया जाना चाहिए और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनमें तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है।

अतः, अब, केंद्र सरकार, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के खंड II में, अध्याय 7 में, टैरिफ मद 0713 20 00, के सामने स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, "60%" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

[फा.सं. 354/368/2017-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव, भारत सरकार